ISSN:- 2230-7850 VOLUME-5 | ISSUE-2 | MARCH -2015

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

महिलाओं के उत्थान एवं विकास में गांधी जी की प्रसंगिकता एवं भारतीय कानून

रोमा मुखर्जी,

प्राध्यापक शासकीय राज्य स्तरीय स्नातकोत्तरविधि महाविद्यालय, भोपाल

सारांश :–

विश्व में मातृ शक्ति से अधिक और कोई भी पूज्यनीय नही है परिवार में प्रेम, वात्सल्य ममता अनुराग की प्रतिमूर्ति तथा गृहस्थ जीवन को सफ लता पूर्वक संचालित करने वाली शक्ति का नाम ही महिला है। महिलाओं के बिना न तो गृहस्थ जीवन की गाडी चल सकती है और न ही पुरूष की उत्पत्ति हो सकती है। यद्यापि शारीरिक बल में वह पुरूष की तुलना में कमजोर है, फिर भी आत्मिक नैतिक एवं सहनषीलता में वह पुरूष से श्रेष्ठ है। महिलाऐं विभिनन कालो में अपमानित एवं तिरस्कृत हुई है, किन्तु अनेक विद्वानों, समाज सुधारकों एवं राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जैसे महान पुरूषों एवं समाज सुधारकों ने महिला उत्थान एवं उन्हे दीन हीन एवं असहाय स्थिति से उभारने के लिए समय–समय पर अनेक सुधार अन्दोलन चलाये हैं।

प्रस्तावना :–

१९वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण की शुरूआत बंगाल से हुआ। राजा राम मोहन राय ने १८१४ में कलकत्ता में ''आत्मीय सभा'' की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ गंभीर आन्दोलन चलाया। एक समय था जब अलाउद्दीन खिलजी व फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में जौहर प्रथा के साथ-साथ सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा अनिवार्य तो नही थी परन्तु जो विधवा सती नही होती थी, उसे अत्यन्त अपमानित जीवन व्यतीत करना पडता था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों १८२९ में अंग्रेजी शासन ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया।
एनी बेसेन्ट ने महिला शिक्षा, महिला पुनर्विवाह का समर्थन किया। हिन्दुओं में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन अपनी कन्याओं को सुल्तानों की हवस से बचाने के लिए था। एनी बेसेन्ट ने बाल विवाह के विरूद्ध भी आवाज उठाई। १८४७ में आयरलैण्ड में जन्मी महिला ऐनी बेसेन्ट भारत की दत्तक पुत्री के नाम से जानी जाती थी। भारत आने से पहले एनी विसेन्ट की पहचान अंग्रेज समाज सुधारक और नारीवाद स्वयं सेविका के रूप में थी। वे थियोसोफिकल सोसायटी का प्रचार करने भारत में आयी और भारत के स्नेह की बेडियों में जकड गई। ईश्वर चन्द्र विधासागर ने विधवा विवाह, प्रेम विवाह तथा स्त्री आंदोलन के लिए किया। उन्हीं के प्रयासों से १८५६ में विधवा विवाह अधिनियम पारति हुआ। स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर महिलाओं के कष्ट दूर करने का प्रयास किया। उन्होने बाल विवाह की निंदा की। स्वामी विवेकानन्द स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। विधवा स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक मठ स्थापित किये। उनका कहना था कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व कल्याण का कोई मार्ग नही हैं

महात्मा गांधी के समक्ष भी महिलाओं की दीन हीन दशा का उपर्युक्त परिदृश्य था गांधी जी शोषित, अपमानित और जर्जरित मानवता के मसीहा थें। महिला को कमजोर, अबला और असहाय कहना गांधीजी की दृष्टि में न्याय संगत नही है। गांधीजी द्वारा किए गए प्रयास बीसवीं शताब्दी में बहुत प्रभावी हुए। उन्होने ''अबला'' कहे जाने वाल समाज के इस वर्ग को ऊपर उठाने के सराहनीय आंदोलन किये। वे महिलाओं और पुरूषों को समान राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित करते थे। उन्हीं के प्रयासों से ''असहयोग आन्दोलन'' में भारतीय स्त्रियाँ दुर्गा बनकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पडी। गांधी जी दहेज प्रथा, बाल विवाह तथा कुलीन विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होने अन्तर्जातीय विवाह पर बल दिया। गांधी जी ने समय-समय पर अंग्रेजी सरकार को महिलाओं की दशा सुधारने सम्बन्धी पत्र भेजते थे।
ज्ञमलूवतके – महिला अवला नही है, महिला पुरूष से कम नही, स्त्री एवं पुरूष एक दूसरे के पूरक है, राजनैतिक क्षेत्र में महिला की भागीदारी।

भूमिका :– गांधी जी द्वारा महिलाओं के उत्थान में किये गये प्रयासों को संक्षेप में निम्नानुसार उल्लेख किया जा रहा है।

गांधी जी के अनुसार महिला अबला नही है नरी को अबला कहना उसकी निंदा है। यह पुरूष और नारी के प्रति अन्याय है। उनका मानना था कि स्त्री के बिना पुरूष का कोई महत्व नहीं है। यदि अहिंसा मानव जाति का एक मौलिक यंत्र है जो भविष्य नारी जाति के हाथ में है। ममता, प्यार,अपनत्व की भावनाओं से हृदय को आकर्षित करने के गुण स्त्री से ज्यादा किसमें हो सकता है१? जब स्त्री को पुरूष के बराबर अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और वह परस्पर सहयोग और सम्बन्ध की शक्तियों का पूरा-पूरा विकास कर लेंगी तो संसार स्त्री शक्ति का सम्पूर्ण विलक्षणता और गौरव के साथ परिचय पा सकेगा२। महिला आत्म त्याग की मूर्ति है। टॉल्सटॉय ने कहा है वे पुरूष के सम्मोहक प्रभावों से आक्रान्त है यदि वे अहिंसा की शान्ति पहचान ले तो अपने को अबला कहे जाने के लिए हरगिज राजी नही होगी[३]।

गांधी जी के उपरोक्त विचारों के आधार पर महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समापन पर अभिसमय, संयुक्त राष्ट संघ की महासभा द्वारा १८ दिसम्बर १९७९ से अंगीकृत किया गया था। यह अभिसमय ३ सितम्बर १९८१ को लागू हुआ।

इसी प्रकार सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा १९६० के अनुच्छेद २ भेदभाव के विरूद्ध अधिकार, अनुच्छेद ३ में पुरूष एवं महिला में समानता तथा अनुच्छेद २६ में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। यहाँ गांधी जी के आन्दोलन को अन्तराष्ट्रीय मान्यता मिली।

भारतीय सवंधिान के अनुच्छेद १५ में महिलाओं के लिए विशेष उपबन्ध किया गया।

अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्नलिखित उपबन्ध हैं :–

१.राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नही करेगा।
२.कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर:-
(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश,
(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तलाबों, स्नानाघाटों, सडकों और सर्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्धों में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निर्बंधन या शर्त के अधीन नही

होगा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पुरूष और महिला होने के आधार पर उपरोक्त प्रकार का विरोध नही किया जायेगा।

महिला अब अबला नही है। श्रीमती केकनेल बनाम सेट ऑफ यू.पी.[४] के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी महिला को मात्र महिला होने के कारण सम्पत्ति धारण करने अथवा उसका उपयोग करने से वंचित नही किया जा सकता। यदि कोर्ट विधि इस आधार पर सम्पत्ति से वंचित करती है तो वह असंवैधानिक मानी जायेगी।

महिला पुरूष से कम नहीः–

गांधी जी महिलाओं को पुरूष से किसी भी स्थिति में हेय नही मानते थे भेद नही करते थे। वीरता केवल पुरूषों की वपौती नही है[५]। महिलाओं का स्वयं को पुरूषों को अधीन या उनसे हीन सामझने का कोई कारण नही है। वे स्त्री को पुरूष का एक ऐसा साथी मानने की कल्पना की थी कि समान बौद्धिक क्षमताओं से पूरा करते हुए मनुष्य के जीवन की प्रत्येक क्रिया कलापों में समान रूप से भाग लेने के अधिकार को रखती है[६]।

स्त्री पुरूष समानताः–

गांधी जी की दृष्टि में प्रत्ये सामाजिक स्थिति में स्त्रियों का समान महत्व है। लडके तथा लडकी में गांधी जी ने काई अंतर न मानते हुए कहा है कि ''मैं पुत्र एवं पुत्री में काई अंतर नही मानता''। पुत्रा तथा पुत्री के जन्म का समान रूप से स्वागत किया जाना चाहिए७। गांधी जी स्त्री पुरूष की समानता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नही थे। गांधी जी के उपरोक्त विचार को आज कानूनी मान्यता विधान मंडल द्वारा विधि का सृजन कर पूर्ण करने का प्रयास जारी है।

स्त्री एव पुरूष एक सिक्के के दो पहलू हैं :–

गांधी जी के अनुसार स्त्री पुरूष एक दूसरे के पूरक है। स्त्री पुरूष की सहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियां पुरूष से कम नही है स्त्री पुरूष के छोटे से छोटे कार्य में सहभागी बनने का अधिकार रखती है। पुरूष ने स्त्री को अपनी कठपुतली समक्ष लिया है। स्त्री को अब इसका अहसास हो गया है। गांधी जी का दृंढ विश्वास था कि यदि देश की सही शिक्षा यह होगी कि स्त्री को अपने पति से ''न'' कहने की कला सिखायी जाए और यह बताया जाए कि पति की कठपुतली या उसके हाथों की गुडिया बनके रहना उसके कर्त्तव्य का हिस्सा नही है। स्त्री को उसके विशिष्ट अधिकार और अपने कर्त्तव्य हैं। जिस दिन महिला यह सीख लेगी पुरूष उसका कुछ नही बिगाड सकता है[८]।

बाल विवाह एवं अनमेल विवाहः–

गांधी जी समाज में बाल विवाह प्रथा के सन्दर्भ में काफी दुःखी थे इस व्यवस्था से गांधी जी की भावनाओं पर बहुत ठेस पहुंचा था। इस प्रथा में एक अवयस्क लडकी का विवाह किसी अधेड उम्र के पुरूष के साथ कर दिया जाता था। बाल विवाह में निहित बुराई को वे शारीरिक दोष के रूप में नही देखते थे, अपितु नैतिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से वह उसे हेय (नीच) मानते थे। गांधी जी के अनुसार बाल विवाह एक अनैतिक एवं अमानवीय कृत्य है। जिससे सीधी-साधी (भोली-भाली) लडकियाँ पुरूषों की विषय-वासना की पुर्ति का साधन बनती है, छोटी उम्र में ही माँ बन गई लडकियों का स्वास्थ्य नष्ट होता है। और इन सबसे आगे बढकर वे लडकियाँ विधवाओं की दुर्गती को प्राप्त होती हैं[९]।

गांधी जी को उपरोक्त विचारों के कारण बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार लडके के विवाह की न्यूनतम आयु २१ वर्ष और लडकी के लिए १८ वर्ष तय की गई है। विधवा विवाह व अर्न्तजातीय विवाह के लिए कानून बनाये गये। यह नही अब शिक्षित होने के बाद लडके लडकी का विवाह से पूर्व एक दूसरे को देखना एवं मिलना आवश्यक मानते हैं। अब विवाह में माता-पिता की पसंद या नापसंद का ख्याल आज के युवक एवं युवती पर कोई प्रभाव नही करता। वे अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कानून उनके साथ है इसलिए हिन्दु विधवा पुनर्विवाह १९५६ एवं बाल विवाह निरोध १९२९ पारित किया गया।

दहेज प्रथा :–

गांधी जी विवाह जैसे पवित्र सामाजिक बंधन को दूषित करने वाली दहेज प्रथा के हमेशा विरोध में थे। इन्होने इस

कुप्रथा की निदां करते हुए कहा कि ''यह लडकियों को बेचने के अतिरिक्त कुछ भी नही है''। गांधी जी तो यह चाहते थे कि ''दहेज मांगने वाला हर व्यक्ति विवाह के अयोग्य घोषित किया जाए। विवाह के लिए दहेज चाहने वालों को किसी प्रकार से प्रताडित नही किया जाता। उसकों नित्य मान सम्मान दिया जाता है'' यह हमारा दुर्भाग्य है कि किसी लडकी से शादी करने की कीमत ऐठने की नीचता को निश्चित अयोग्यता नही समक्षा जाता है१०।

गांधी जी के अनुसार दहेज की मांग की प्रथा एक हृदयहीन प्रथा है जब वर कन्या के पिता से विवाह करने के बदले दहेज लेता है तब नीचता की हद हो जाती है११। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में दहेज प्रताडना या दहेज हत्या के लिए गांजी जी उस सोच को सरकार द्वारा दहेज निरोध अधिनियम १९६१ पारित किया गया। दहेज प्रथा के दंडिक प्रावधानों को १९८६ में कठोर बना दिया गया। दहेज की मांग करना भी एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को ०२ वर्ष तक की कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, चाहे भले ही दहेज की मांग पूरी न किये जाने के कारण विवाह सम्पन्न न हो सका हो।

गांधी जी के विचारों की प्रासांगिकता आज २१वीं शताब्दी में कानून के रूप में परिलक्षित हो गया है।

वेष्यावृत्तिः–

गांधी जी पद दलित महिलाओं को कभी नही भूलते थे। वे इस देश का दुर्भाग्य मानते थे कि स्त्री कुछ धनराशि लेकर अपने तथा अपने शरीर का विक्रय करती है। गांधी जी के विचार से वेश्यावृत्ति समाज पर अभिशापित कलंक है। गांधी जी इस कुप्रथा से अत्यन्त दुःखी थे उन्होने कहा कि ''मेरी आत्मा चीख उठती है जब मैं छोटी उम्र की लडकियों को अनैतिक कार्यों के लिए बेचने की बात सुनता हुँ१२। वेश्यावृति उन्मूलन के लिए कानून बनाने के साथ-साथ लोकमत एवं लोकमानस को जागृति करने वाले गांधी जी ने बल दिया वेश्यावृत्ति उन्मूलन एवं महिला अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम १९८६ गांधी जी के विचारों की प्रासांगिकता के कारण अधिनियमित किए गये। वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु १९५६ में अनैतिक व्यापार कनून पारित किया गया। इलाहाबाद उच्च्व न्यायालय ने, नवम्बर २००२ में दिये गये निर्णय में कहा कि वेश्यायों को सम्मान के साथ जीवन यापन का मौलिक अधिकार है। आम लोग सहित पुलिस को भी इनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए एवं इनका उत्पीडन नही करना चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के हर शहर में वेश्याओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए योजना तैयार करें जिससे वे अपनी जीविका चला सके यहाँ वेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में गांधी जी के विचारों को कानून एवं न्यायालयों द्वारा आज मान्यता दी गई है इस प्रकार गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज है।

गौरव जैन बनाम भारत संघ१२ (१९७७) के बाद में उच्चतम न्यायालयों ने राज्य और गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को वेश्यावृत्ति रोकने तथा उनकी सन्तानों को पुनर्वास के लिए समुचित कल्याणकारी उपायों को क्रियान्वित करने के लिए उनको निर्देश दिया। इसके बाद में एक अधिवक्ता की गौरव जैन इन्डिया टुडे पत्रिका में प्रकाशित भारत में वेश्याओं के सन्तानों को समाज कुछ नही देता है लेख को पढकर अनुच्छेद ३२ के अधीन उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर करके ऐसे महिलाओं तथा उनकी सन्तानों की दशा में सुधार करने के लिए सकार को समुचित निर्देश या आदेश देने के लिए अनुरोध किया। न्यायालय ने आगे कहा कि आवास की सुविधा, विधिक सहायता, निःशुल्क परामर्श और इस प्रकार की सभी सेवाओं को उपलब्ध कराये जाये जिससे वे रेड लाइट क्षेत्र में न जाऐं१५।

परदा प्रथाः– महिलाओं के उद्धार के लिए गांधी जी द्वारा चलाऐ गए अभियान का सबसे बडा अंग था परदा प्रथा की समाप्ति। गांधी जी स्त्रियों के परदा प्रथा के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार, यह प्रथा मानसिक दासता की प्रतीक है, यह व्यवस्था हर तरह से अकल्याणकारी है। यह स्त्री के शरीर एवं मन को हानि पहुँचाता है।१३

भारत के शहरों में पढी लिखी लडकियों ने परदा करना कम कर दिया है। आज तो परदा प्रथा पूर्णतः समाप्त सी हो गई है। इस प्रकार गांधी जी के विचारों के प्रासांगिकता का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद समाज में पडा यह कुप्रथा समाप्त हुई।

तलाक एवं विवाह विच्छेदः–

गांधी जी इस बात के समर्थक थे कि स्त्री को स्वाधीनता मिले, उसे अपना जीवन साथी चयन करने का अधिकार मिले। अर्न्तजातीय विवाह को वे बुरा नही मानते थे किन्तु गांधी जी तलाक के पक्षपाती नही थे, गांधी जी विवाह को एक पवित्र बंधन मानते थे। वे विवाह के माध्यम से स्त्री पुरूष की समानता चाहते थे। उनके अनुसार आदर्श दम्पति वही है जिसमें पति पत्नि एक दूसरे को स्वामी-दासी न मानकर, सच्चा मित्र एवं सहयोगी माने।

गांधी जी उपरोक्त विचार के कारण एक विवाह की प्रथा प्रारम्भ हुई सन् १९५५ में पारित हिन्दु विवाह तथा विच्छेद अधिनियम के पूर्व हिन्दु समाज में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना एक समान्य बात थी।

हिन्दु विवाह अधिनियम १९५५ विवाह विधियाँ (संशेधन) अधिनियम १९७६ द्वारा संशोधित धारा १३ के अन्तर्गत उन आधारों का उपबन्ध किया गया है। जिन पर कि न्यायालय पति या पत्नी को तलाक (क्पअवतबम) डिक्री पारित कर सकता है।

विशेष विवाह अधिनियम १९५४, विदेशी विवाह अधिनियम, १९६९ अधिनियम पारित किया गया। बाद में अर्न्तजातीय विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार गांधी जी के विचारों के अनुसार स्वतंत्र भारत के बाद स्त्रियों के

कल्याण हेतु विवाह अधिनियम समाज के परिवर्तन के साथ पारित किया गया।

आर्थिक अधिकारः–

गांधी जी महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिये जाने की वकालत की। स्त्री को आर्थिक स्वतंत्रता दिये जाने का विरोध इस आधार पर किया जाता रहा कि इससे स्त्रियों में दुराचार फैल जायेगा और घरेलू जीवन बिखर जायेगा, किन्तु गांधी जी को ऐसे विरोध में कोई तार्किकता नजर नही आई। लिंग के आधार पर विभेद करना संविधान के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से मना कर दिया गया ताकि महिलाओं को पुरूषों के बराबर दर्जा मिल सके। अनुच्छेद १६ (२) के अन्तर्गत महिलाओं के हित में किये गये विभेद को न्यायोचित ठहराने के लिए अनुच्छेद १५(३) का सहारा लिया जा सकता है।

गांधी जी के विचारों की प्रासांगिकता एवं नरी उत्थान के प्रयासों को न्यायालय ने अपने निर्णयों में सही माना है। विजय लक्ष्मी बनाम पंजब विश्वविद्यालय१४ के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि महिलाओं को विद्यालय में नियुक्ति के लिए महिलाओं हेतु पद आरक्षित कर देना उचित नही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६ से अनुच्छेद १५ (३) पर प्रतिबन्ध नही लगाया जा सकता है।

सी.वी. मुथम्म बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया१५ के बाद में इन्डियन फॉरेन सर्विस (कन्डक्ट एन्ड डिसिप्लीन) नियम १९६१ के अनुसार महिला कर्मचारी को विवाह करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए तथा यदि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सेवा में बाधा पहुँचती है तो उसे सेवा से त्याग पत्र देना पड सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त सेवा नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६ का उल्लंघन है।

आज गांधी जी की सोच के अनुसार महिलायें आथिक रूप से स्वतंत्र है वे प्रशासनिक पदों एवं राजनैतिक के उच्च पदों पर आसीन हैं वे अब माता पिता एवं अपने पति पर आश्रित नही है। गांधी जी के विचार के अनुसार शासकीय सेवा में महिलाओं को आरक्षण देकर सरकार ने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता को बढाया है।

अहिंसा की प्रतिनिधिः–

अहिंसा को अपने सर्वाधिक प्रिय सिंद्धांत में गांधीजी की आजीवन अडिग आस्था रही। स्त्रियों को वे अहिंसा की प्रतिनिधि मानते थे। अहिंसा में त्याग वृत्ति है, सहन शक्ति है, उदार मनोभावनाए हैं और असीम धर्म है। अहिंसा का अर्थ है उन्नत प्रेम और उसका तात्पर्य कष्ट सहने की अनन्त शक्ति, पुरूष की माता, स्त्री से बढकर इस शक्ति का परिचय और किसमें अधिक मिल सकता है ? अपने गर्भ में नौ मास तक शिशु का पोषण करके और प्रसन्नता पूर्वक प्रसव पीडा झेलकर वह इस सामर्थ्य का समुचित प्रमाण देती है। प्रसव पीडा से बढकर कोई और पीडा नही है किन्तु सृजन एवं भावी सन्तान के सुख में वह उस घोर पीडा को भी भुला देती है स्वयं पीडा भोगना और दूसरे काम से कम कष्ट पहुँचना उसके स्वभाव में है। इसलिए अहिंसा उसके लिए अधिक सहज है१६।

गांधी जी उपरोक्त अहिंसा के विचार एवं महिलाओं के प्रसव पीड़ा से राहत दिलाने के लिए गांधी के विचारों की प्रासंगिकता का प्रभाव विधायिका पर पड़ा। स्त्री माता है, पत्नि है बहन है। ''मातृत्व'' उसका प्राकृतिक लक्षण है। मातृत्व के कारण प्रसूति काल में उसे कई कष्ट झेलने पडते हैं व घर से बाहर नही निकल पाती। कामकाजी महिलाओं के लिए यह संक्रमण काल होता है, उन्हे अवकाश लेना होता है, नवजात शिशु की देख रेख करनी पड़ती है, आर्थिक व्यवस्था जुटानी पड़ती है। ऐसे समय में महिलाओं को आर्थिक संकट न झेलना पडे तथा वे नवजात शिशु की देखरेख कर सके संसद द्वारा १९६१ प्रसूति लाभ अथवा मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया गया।

राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारीः–

सार्वजनिक कार्यों में स्त्रियों की उपयोगिता स्वीकार करने के साथ-साथ गांधी जी ने स्त्रियों को राजनीति में पुरूषों के समान क्रियाशील देखना और बनाना चाहते थे। गांधीजी का मानना था कि आज मनुष्य के जीवन पर राजनीति का प्रभाव इतना पड गया है कि वह उससे यदि बचने की भी आकांक्षा करने पर भी बच सकता है। वर्तमान राजनीति में आई गिरावट को यदि समाप्त करना है तो स्त्रियों के राजनीति में प्रवेश करने की स्थिति को स्वीकार करना होगा।

गांधी जी ने उपरोक्त विचारों से प्रभावित होकर बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान का ७३वाँ व ७४वाँ संशोधन अपना अनूठा महत्व रखता है जिसके तहत सन् १९९२ में संविधान में संशेधन कर पंचायती राज्य संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित किये गये हैं।

अनुच्छेद २४३(२) के अन्तर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है।

अनुच्छेद २४३(६) नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान हैं।

संविधान के अनुच्छेद ४२ में संशोधन द्वारा जोडे गये ५१ (क) में नागरिक के मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें स्त्रियों के सम्मान को भी स्थान दिया गया है।

संविधान के भाग ४ में राज्य की नीति निर्देश तत्वों में महिलाओं के लिए कई विशेष उपबन्ध किये गये है।

अनुच्छेद ३९ (क) राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो अनुच्छेद ३९ (घ) स्त्री एवं पुरूष दोनो को समान कार्य के लिए समान वेतन हो बाद में समान पारिश्रमिक अधिनियम १९७६ पारित किया गया।

अनुच्छेद ३९(ड) पुरूष और स्त्री कार्यकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिको को ऐसे रोजगार में न जाना पडे जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद ४२ राज्य काम की न्याय संगत और मानवांचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा।

संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कराने में गांधी जी का सर्वाधिक योगदान था। महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अन्य काई संवैधानिक संशोधन हुए जो गांधी जी के विचारों के कारण आज महिला आत्म निर्भर हो गई है उसे अब अबला नही कहा जा सकता।

पंचायतो के गठन का विचार स्वतंत्रा से पूर्व गांधी जी के ग्राम स्वाराज्य के विचार से प्रेरित रहा है। भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम व्यवस्था पर विचार विमार्श करने के लिए १९५६ में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में १९६७ में अपनी सिफारिशे सरकार को दी। जनवरी १९५८ में राष्टीय विकास परिषद में बलवन्त राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिशो को मान्य करते हुए, राज्यों से इसे क्रियान्वित करने का कहा।

पंचायतो की तरह नगरपालिकाओं की स्थापना की सत्ता विकेन्द्रीकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं उसमे केवल यह अंतर है कि जहाँ पंचायतों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया जाता है, वहां नगरपालिकाओं की स्थापना नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। समय के साथ जब पंचायतों की तरह नगर पालिकाओं की क्रियाशीलता में भी शिथिलिता आने लगी तो उन्हें पुनः सक्रिय बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया और ७४ वाँ संविधान संशोधित अधिनियम १९९२ द्वारा इसे समाहित किया गया। इसे २० अप्रेल १९९३ से प्रवर्तित कर दिया गया। नगरपालिकाओं के लिए संविधान में एक नया अध्याय १(क) जोड़ गया जिसमें अनुच्छेद २४३(त) से २४३(ह) तक समाहित किया गया साथ ही संविधान में एक दूसरी अनुसूची १२वीं अनुसूची को स्थान दिया गया। यह कार्य यह दर्शाता है कि गांधी के विचारों की २१ वीं सदी में प्रांसागिकता ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की स्थापना एवं सत्ता विकेन्द्रीकरण में प्रभाव पड़ा है।

अस्पृश्यता निवारण में गांधी जी का योगदान :–

अस्पृश्यता की समस्या निराकरण की इच्छा गांधीजी को उद्विग्न किये थी। अस्पृश्यता को गांधी जी हिन्दू सामज पर लगा एक कलंक मानते थे। ईश्वर में आस्था रखने के कारण वह इस अन्याय को सदन नहीं कर सकते थें, इसलिए उन्होंने नारी समाज को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया।अगर स्त्रियों अब भी अछूतों को अपनाने में आना कानी करेगी तो हमको इनसे भी ज्यादा मुसीबते उठानी पड़ेगी। गांधी जी अछूतों के उद्धार के लिए एक हरिजन कोष की स्थापना की थी।

हरिजन 26 जनवरी 194717:–

भारतीय समाज जाति व्यवस्था के कारण जो ऊँच नीच भेदभाव, अस्पृश्यता, अपमान अवसरो की असमानता तथा शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ापन जो व्याप्त है उसे कोई भी कल्याणकारी राज्य सहन नहीं कर सकता। अस्पृश्यता की समाप्ति, जाति के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण व्यवस्था आदि अनेक विधियों को गांधी जी के विचारों के अनुसार अपनाया गया है जो भारतीय संविधान में उपबंधित है।

अनूसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन द्वारा १९३५ में प्रयोग में लाया गया। अम्बेडकर के अनुसार आदिकाल से भारत में इन्हें ''भग्न पुरूष'' या वाहय-जाति माना जाता था। अंग्रेज उन्हें दलित वर्ग कहते थे। १९३१ की जनगणना में उन्हें बाहरी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन (ईश्वर के बालक) की संज्ञा से पुकारा। अस्पृश्य जाति में शिक्षित लोगों ने इसे नामकरण को स्वीकार नहीं किया, वे सोचते थे कि हरिजन कहकर असमानता को जन्म देने वाली व्यवस्था को समाप्त करने की अपेक्षा उनकी दशा में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी साइमन कमीशन द्वारा उच्चारित किये गये शब्द का प्रयोग किया।

दलिता (शूद्रो) पर ब्राम्हण काल या उत्तर वैदिक काल से ही अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। उन्हें यज्ञशाला में जाने की अनुमति नहीं थी। खाती, लोहार और धोबी के वर्तनो को साफ करके दूसरे लोग प्रयोग करते थे, लेकिन शूद्र (चांडाल) द्वारा प्रयोग किए वर्तन कोई अन्य प्रयोग नहीं कर सकता था। बिट्रिश काल की अवधि २० वीं शताब्दी के पूर्वाद्र में मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश निषेध था। गांवो में उनके लिए पृथक कुएं थे। उनके प्रवेश के संदर्भ में महात्मा गांधी ने १९३३ में लिखा था कि मन्दिर प्रवेश ही एक ऐसा आध्यात्मिक कार्य जो अस्पृश्यों की स्वतंत्रता का संदेश होगा और उन्हे आश्वस्त करेगा कि ईश्वर के सामने जाति से बाहर नहीं हैं लेकिन एक वर्ष बाद उन्होंने लिखा कि उनकी कोई इच्छा नहीं है कि शूद्रों के लिए मंदिरों को खोला जाए जब तक हिन्दू जाति का मत इसके लिए एक पक कर तैयार न हो जाए। उन्होंने कहा कि यह हरिजनों को मंदिर

प्रवेश के स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह हिन्दू जाति के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे शूद्रों के मंदिर प्रवेश को सुनिश्चित करें।

मैला सफाई व्यवसाय के कारण हरिजनो के बहिष्कार के सन्दर्भ में गांधी जी ने कहा कि पैतृक व्यवसाय स्वभाविक व्यवस्था हो सकता है। लेकिन आदर्श प्रचलन नहीं। उन्होंने कहा कि आदर्श आधुनिक समाज के प्रजातांत्रिक आदर्शो के अनुकूल भी नहीं है। उन्होंने व्यवसायिक गतिशीलता की सीमाओं का भी सन्दर्भ दिया। इस कथन की प्रतिक्रिया स्वरूप अम्बेडकर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा एक मेहतर को यह बताने का क्या लाभ है कि ''एक ब्राम्हण भी मेहतर का काम करने को तैयार है जबकि यह स्पष्ट है कि भले ही ब्राम्हण सफाई का काम करे, वह उन निर्योग्ताओं का शिकार कभी नहीं हो सकता जो जन्मजात मेहतर (भंगी) को भोगनी पड़ती है''। यह सत्य है कि भारत में व्यक्ति उच्च या निम्न प्रास्थिति अपने जन्म से प्राप्त करता है, न कि कार्य से। अतः मेहतरो के झूठे अभियान के समझ निवेदन करना या उन्हें प्रेरित करना और बताना कि सफाई करने का कार्य आदर्श कार्य है और उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, वास्तव में इन असहायो वर्गों की ही हँसी उड़ाना है।

महात्मा गांधी ने यद्यपि हरिजनों की समस्या को १९२४ से उठाया था किन्तु उससे पूर्व कुछ प्रयत्न किये गये थे। उनमें से प्रमुख प्रयत्न था। १९१६-१९२२ के बीच दलित वर्ग में शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अस्पृश्यता निवारण के लिए कुछ कार्य एवं योजनाए बनाई गयी थी तथा दूकानों एवं पूजा स्थलों में उन्हें प्रवेश के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए गये। महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से १९२२ में चलाये गये बारदोली कार्यक्रम भी अस्पृश्यों के उत्थान का ही उद्देश्य था। १९३२ में अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताओं के निवारण हेतु हरिजन सेवक संघ गठित किया गया था।

गांधीजी के विचारों के कारण भारत के संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व-स्थिति को देखते हुए, भारतीय संविधान के निर्मताओं को दुर्बल वर्ग के लोगों, जिन्हें सदियों से सताया तथा दवाया गया, का विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों का विशेष ध्यान था। संवैधानिक उपबन्धों की भावना एवं गांधी के विचारों से सहमत होकर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम १९८९ पारित किया। इस अधिनियम ने राष्टपति की सम्मति ११ सितम्बर १९८९ को प्राप्त की तथा यह ३०.०१.१९९० से प्रवृत्त हो गया। अब अस्पृश्यता या हरिजन पर अत्याचार करना एक गंम्भीर अपराध की श्रेणी में आ गया है।

गांधी के विचारों की 21वीं सदी में प्रासंगिता के कारण महिलाओं के उत्थान एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु भारत में निम्न अधिनियम पारित किये गये।

१.दहेज निरोध अधिनियम १९६१
२.कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण हेतु विशाखा राजस्थान के दिशा निर्देश
३.विशेष विवाह अधिनियम १९५४
४.विदेशी विवाह अधिनियम १९८९
५.विवाह विधि संशोधन १९७६
६.प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम १९६१
७.महिलाओं का अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम १९८६
८.सती निवारण अधिनियम १९८७
९.घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
१०.राष्टीय महिला आयोग १९९०
११.बाल विवाह अवरोध १९२९
१२.गर्भावती पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन रोकथाम अधिनियम २००२

इस प्रकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु उपरोक्त के अलावा बहुत से अधिनियम पारित किये गये है गांधीजी के विचारों की २१वी शब्ताब्दी में प्रासांगिकता है गांधी जी के विचार एवं सपनों को भारत सरकार कानूनी जामा पहनाकर पूर्ण करने का प्रयत्न कर रही है।

सारांशः—

२०वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उदय का काल था। १३ अप्रैल १९१९ को जलिया वाला बाग ने नृशंस हत्याकांड के बाद देश भर में अंग्रेजों के विरूद्ध आक्रोश फूट पड़ा था। इस जन आक्रोश को प्रभावी शक्ति के रूप में प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी ने १४ सितम्बर १९२० को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सत्याग्रह का प्रारम्भ किया। गांधी जी ने जनता से अनुरोध किया कि वह विदेशी सरकार का कतई साथ न दे और विदेश वस्त्रों और शराब का बहिष्कार करे। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग पकड़ा परन्तु ०४ फरवरी १९२२ को उग्र आन्दोलन कारियों ने गोरखपुर के चौरा-चौरा थाने में २२ पुलिस कर्मचारियों को जीवित जलाकर मार डाला। अहिंसा का रूप हिंसा ने ले लिया फलस्वरूप गांधी जी को ०६ वर्षो के कारावास की सजा सुनाई गई।

जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से सम्पर्क तोड़कर खादी ग्रामोद्योग मिशन संचालित किया उनकी स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी वस्त्रों की माँग ने चरखे, खादी और हैण्डलूम वस्त्रों को लोकप्रिय बनाया। घरों में महिलाऐं चक्की

पर गेहूँ पीसते, हुए घर में तैयार आटे से भोजन बनाती व घर में चरख से काते सूत से वस्त्र बनाती। गांधी जी ने १९३० में डांडी यात्रा पर नमक का कानून तोड़ा और स्वयं नमक बनाया।

अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के धनी गांधी जी ने, समाज में ''आबला कहे जाने वाली स्त्रियों के वर्ग को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास किये। वह स्त्रियों को पुरूषों के समान स्वतंत्रता आन्दोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्ही के प्रेरणा से सविनय अवज्ञा अन्दोलन व ''असहयोग आन्दोलन'' में स्त्रियों ने भाग लिया। गांधी जी दहेज प्रथा, बाल विवाह व छुआछूत प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होने अर्न्तजातीय विवाह पर बल दिया। गांधी जी विचारों के प्रासांगिकता के कारण बाल विवाह विरोध अधिनियम १९२९ अर्न्तजातीय विवाह अधिनियम एवं संविधान के अनुच्छेद १७ में छुआछूत अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु प्रावधान रखे गये।

गांधी जी स्त्रियों को घर में रहकर घरेलू कार्यों को करने, बच्चों में सत्य, अहिंसा व आत्म विश्वास के संस्कार जगाने पर जोर देते थे। सादगी और सरलता मित्तव्ययता दृढ आत्मशक्ति और स्वतंत्रता आन्दोलन में बलिदान और सेवा भाव परोपकार, मर्यादा आदि गुणों से वह स्त्रियों को युक्त करना चाहते थे। गांधी जी ने समय समय पर अंग्रेज सरकार को महिलाओं की दशा में सुधर करने के प्रस्ताव भेजते थे।

महात्मा गांधी स्त्री को पूर्णातया भारतीय नारी की छवि में ढालना चाहते थे जो अबला न होकर आत्मनिर्भर व दुर्गा की तरह शक्ति और आत्मबल की प्रतिभूति हो। उन्होने अस्पृश्यता को हिन्दु धर्म का सबसे बड़ा कलंक माना है। उन्होने हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश दिलाया उनके साथ बैठकर प्रार्थना की परिपाटी आरंभ की। हरिजन सेवक संघ सर्वेन्टस ऑफ इन्डिया सोसयटी'' गठन किया, जो हरिजनों के उत्थान के लिए अब कार्य करती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के बाद यह कितनी दुखद स्थिति है कि महिलाओं के संरक्षण हेतु पर्याप्त कानून होने के बावजूद भी उनका शोषण तथा उनके विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार निवारण हेतु प्रभावी विधि व्यवस्था को सृजन करने के समय समय पर विधान सभा या संसद में प्रश्नों के माध्यम से विधायिकी के कानों में जब महिलाओं की करूण गूँज सुनाई दी तो इस गूँज को सादर स्वरूप देने की परिस्थिति में भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विविध विधानों का सृजन किया गया।

घर में शान्ति का वातावरण हो तभी महिला का विकास सम्भव है महिला के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि एक ऐसा वातावरण घर समाज में हो जो हिंसक न हो। महिला जब अपने नागरिक होने का अहसास करेगी तभी आगे उसके विकास के रास्ते खुलेंगे। सरकार प्रयत्नशील है सिर्फ महिलाओं को और जागृत करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :–

१.यंग इन्डिया १० अप्रैल १९३० पेज १२१।
२.यंग इन्डिया ०७ मई १९३० पेज ९६।
३.यंग इन्डिया १४ जनवरी १९३२ पेज १९।
४.ए.आई.आर. १९५२ इला. ७४६
५.हरिजन दिनांक ०३ जनवरी १९४७ पेज ४७८।
६.यूनीयन टी.के.एम गांधी एन्ड फ्री इन्डिया वोरा एन्ड कम्पनी बम्बई १९५६ पेज ६४।
७.हरिजन दिनांक ०५ जून १९३७ पेज १०।
८.यंग इन्डिया ०८ दिसम्बर १९२७ पेज २२९।
९.यंग इन्डिया २७ अगस्त १९२५।
१०.हरिजन ०५ सितम्बर १९३६।
११.हिन्दी नवजीवन ०६ सितम्बर १९२८ पेज २४।
१२.वर्मा, ताराचन्द्र गांधी जी और शिक्षा पेज ७१।
१३.ए.आई.आर. १९९० एस.सी. २९२।
१४.हिन्दी नवजीवन १२ सितम्बर १९२९ पेज २८।
१५.ए.आई.आर. १९७९
१६.हरिजन दिनांक ०५ मई १९४६ पेज ११८।
१७.हरिजन २६ जनवरी १९४७।